

FORM -21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the people Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of the Rajasthan (state) from **(20) TARANAGAR** Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961

I declare that -

Sh. NARENDRA BUDANIYA

(Name)


**WARD NO.22, NEAR DHARMSTOOP CHURU
RAJASTHAN**

(Address)

sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised/registerd political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place : Churu

Date 11-12-2018


(MEENU VERMA)
RETURNING OFFICER
A.C. TARANAGAR (20)
(S.D.M.) TARANAGAR (CHURU)
20-TARANAGAR

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया हो))

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।
तारानगर-20 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन।
निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता / करती हूँ कि

श्री नरेन्द्र बुडानिया (नाम)
वार्ड नं. 22, धर्मस्तूप के पास, चुरू राजस्थान (पता)

[जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त / रजिस्टर्ड राजनैतिक दल का नाम) उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने की लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : चुरू
दिनांक : 11-12-2018

(मीन बुडानिया)
रिटनिंग अधिकारी
वि.स.नि. क्षेत्र तारानगर (20)
(एस.डी.एम.) तारानगर (चुरू)